

## रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी

### कोविड -19 के कारण लॉक डाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश/सलाह

#### **भारत सरकार के दिशा-निर्देश :-**

निम्नलिखित कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लॉकडाउन (बन्दी) की अवधि के दौरान छूट दी गयी है:

- ❖ पशु चिकित्सा अस्पताल।
- ❖ एमएसपी परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तरदायी समस्त अभिकरण।
- ❖ जिन मंडियों का संचालन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- ❖ खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन।
- ❖ फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)।
- ❖ उर्वरक, कीटनाशक और बीजों के विनिर्माण और पैकेजिंग में कार्यरत इकाईयां।

कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि/बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य आवाजाही। इन छूटों से कृषि और खेती से संबंधित गतिविधियों को बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन (बन्दी) के दौरान कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नंबर 2440-3/2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 24, 25 और 27 मार्च, 2020)।

भारत सरकार के नीति-निर्देशों के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### **राज्य दिशा-निर्देश**

- ❖ कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, बीज आपूर्ति एवं बिक्री कार्यों में छूट।
- ❖ उर्वरक बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों के बिक्री केन्द्र (थोक/फुटकर) पूर्व की तरह खुलेगा एवं निर्माण, आपूर्ति (सड़क/रेल मार्ग) संचालित होगा।
- ❖ रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं लॉडिंग एवं अनलॉडिंग में प्रयुक्त श्रमिक, रबी फसलों की।
- ❖ कटाई में होने वाले कम्बान्डन हार्वेस्टर तथा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त श्रमिक, बीज विषयक संयंत्रों के संचालन एवं कार्य में प्रयुक्त होने वाले श्रमिक, सभी कार्यों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
- ❖ भण्डार हेतु परिवहन करना अनलॉडिंग आदि कार्यों के प्रयोग हेतु लगे श्रमिक पर।
- ❖ राजकीय प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं, बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों, सेंटर ऑफ एक्सीलेस दैनिक।
- ❖ श्रमिक/चतुर्थ श्रेणी द्वारा किए जाने वाले बागवानी संबंधित कार्य शहद उत्पादन हेतु।

**किसानों के लिए सलाह :-**

**1. फसलों की कटाई एवं मड़ाई से संबंधित**

देश में कोविड-19 वाइरस के फेलने के खतरे के साथ रबी फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर हैं। इन फसलों की कटाई एवं उनके बाजार तक पहुँचाने का काम एकदम वांछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों को सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके। ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी का निर्वाहन, साबुन से हाथों को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, बचावटी कपड़े पहनना एवं कृषि संयंत्रों एवं उपकरणों की सफाई अत्यंत आवश्यक है। किसानों को खेती के प्रत्येक कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है। किसानों को खेती के प्रत्येक कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है। निम्नलिखित कुछ सलाह बिन्दुवार हैं जो किसानों के लिए अति-उपयोगी हैं। भारत के उत्तरी प्रांतों में गेहूँ पकने की स्थिति में आ रही है। अतः इनकी कटाई के लिए कम्बाइन कटाई मशीन का उपयोग एवं प्रदेशों के अन्दर तथा दो प्रदेशों के बीच इनका आवागमन भारत सरकार के द्वारा आदेश प्रदत्त किया गया है। हालाँकि इस दौरान मशीनों के रखरखाव एवं फसल कटाई में लगे श्रमिकों की सावधानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी प्रकार उत्तर भारत की तिलहन सरसों रबी की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है जिसकी किसानों द्वारा हाथ से कटाई एवं कटी फसलों की मड़ाई का कार्य जोरों से चल रहा है।

- ❖ मसूर, मक्का और मिर्ची जैसे फसलों की भी कटाई एवं तुड़ाई चल रही है तथा चने की फसल पकने की स्थिति में तेजी से आ रही है।
- ❖ ऐसी स्थिति में समस्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों, जो फसलों की कटाई, फल एवं सब्जियों की तुड़ाई, अंडों और मछलियों के उत्पादन में लगे हैं, उनके द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, कार्यों के दौरान एवं कार्यों के उपरांत व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।
- ❖ फसलों की हाथ से कटाई/तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4-5 फीट की पट्टियों में इस काम को किया जाए तथा एक पट्टी की दूरी में एक ही श्रमिक को कार्यरत रखा जाए। इस प्रकार कार्यरत श्रमिकों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- ❖ कार्यरत सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मास्क पहनकर ही काम करें तथा बीच-बीच में साबुन से हाथ धोते रहें।
- ❖ एक ही दिन अधिक श्रमिकों को कार्य में लगाने के बजाए उस कार्य को अवधि/दिनों में बाँट दिया जाए तथा खेतों में काम टुकड़ों में किया जाए।
- ❖ जहाँ तक संभव हो परिचित व्यक्ति को ही खेतों के कार्य में लगाएँ। किसी अनजान श्रमिकों को खेतों में कार्य से रोकें ताकि व इस महामारी का कारण ना बन सके।
- ❖ जहाँ तक संभव हो कृषि कार्य कृषि उपकरणों व मशीनों से ही किया जाए ना कि हाथों से तथा केवल आवश्यक व्यक्ति को ही ऐसे संयंत्रों के साथ रखा जाए।
- ❖ कृषि कार्यों में लगे संयंत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्यों के दौरान स्वच्छ (sanitize) से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्रियों को भी स्वच्छ (sanitize) से किया जाना चाहिए।
- ❖ खलिहानों में तैयार उत्पादों को छोटे-छोटे ढेरों में इकट्ठा करें जिनकी दूरी आपस में 3-4 फीट हो। साथ ही प्रत्येक ढेर पर 1-2 व्यक्ति को ही कार्य पर लगाना चाहिए तथा भीड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए।
- ❖ कटाई की गयी मक्के एवं खोदे हुए मूंगफली की मड़ाई हेतु लगाई गई मशीनों की उचित साफ-सफाई एवं स्वच्छ (sanitize) से सुनिश्चित करें। खासकर यदि इन मशीनों को अन्य किसानों या कृषक समूहों द्वारा उपयोग

किया जाना है। इन मशीनों के पार्ट्स (पुर्जो) को बार-बार छूने पर साबुन से हाथ धोने चाहिए।

## 2. कृषि उत्पादों का कटाई उपरान्त भंडारण तथा विपणन

प्रक्षेत्रों पर कुछ खास कार्यों जैसे मड़ाई, सफाई, सुखाई, छंटाई, ग्रेडिंग, तथा पैकेजिंग के दौरान किसानों/श्रमिकों को चेहरे पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए ताकि वायु-कण एवं धूल-कण से बचा जा सके और श्वास संबंधित तकलीफों से दूर रहा जा सके।

- ❖ तैयार अनाजों, मोटे अनाजों तथा दालों को भंडारण के पूर्व पर्याप्त सुखा ले तथा पुराने जूट के बोरो को भंडारण हेतु प्रयोग ना करें। नए बोरियों को नीम के 5 प्रतिशत घोल में उपचारित कर तथा सूखा कर ही अनाजों के भंडारण हेतु प्रयोग करें।
- ❖ शीत भंडारों, सरकारी गोदामों तथा अन्य गोदामों द्वारा आपूर्त जूट की बोरियों का उपयोग अनाज भंडारण हेतु काफी सतर्कता पूर्वक करें।
- ❖ अपने उत्पादों को बाजार-यार्ड अथवा निलामी स्थल तक ले जाने के दौरान ढुलाई के वक्त किसान अपनी निजी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें।
- ❖ बीज उत्पादक किसानों को अपने बीजों को लेकर बीज कंपनियों तक ट्रांसपोर्ट (यातायात) करने की इजाजत है बशर्ते उन किसानों के पास संबंधित दस्तावेज हो तथा भुगतान के वक्त समुचित सावधानी बरतें।
- ❖ बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, संयंत्रों द्वारा बीजों का परिगमन बीज उत्पादक प्रांतों से फसल उत्पादक प्रांतों तक आवश्यक है ताकि गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता आगामी खरीफ ऋतु के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
- ❖ इनके अतिरिक्त, किसानों के द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार टमाटर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा तथा अन्य लौकीवर्गीय सब्जियों के बीज के सीधे विपणन में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

## 3. प्रक्षेत्रों पर खड़ी फसलों से संबंधित सावधानियों

- ❖ जैसा कि ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार अधिकांश गेहूं उत्पादक प्रांतों में औसत तापमान विगत काफी वर्षों के औसत तापमान से कम है, अतः गेहूं की कटाई कम-से-कम 10-15 दिन आगे बढ़ाने की संभावना है। ऐसी दशा में किसान यदि 20 अप्रैल तक भी गेहूं की कटाई करें तो उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार गेहूं की राज्य सरकारी खरीद हेतु समुचित प्रबंधन एवं तारीखों की घोषणा में भी, सरकारों के लिए सहायक होगी।
- ❖ उद्यानिकी फसलें, खासकर, आम इस समय फल बनने की अवस्था में है। आम के बागों में पोषक तत्वों के छिड़काव तथा फसल सुरक्षा के उपायों के दौरान रसायनिक निवेशों का समुचित हैंडलिंग, उनका समिश्रण, उपयोग तथा संबंधित संयंत्रों की सफाई अत्यंत आवश्यक है।
- ❖ गेहूं, मसूर, छोले और सरसों की कटाई और थ्रेसिंग की जानी चाहिए।
- ❖ वर्तमान में गन्ने की बुआई के साथ जायद मूंग, मक्का, मूंगफली, ज्वार बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि बुआई के साथ-साथ रबी फसलों की कटाई के साथ गेहूं की कटाई, कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्य सामयिक रूप से चल रहे हैं, में छूट प्रदान की जा रही है।
- ❖ किसान गेहूं और चना की फसल के बाद सिंचित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मूंग की तैयारी और बुआई शुरू कर सकते हैं।

- ❖ खरीफ मौसम में खेत की तैयारी और बुवाई के लिए आवश्यक कृषि मशीनरी की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करें।
- ❖ कुकुरबिट्स की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अपनाएं।
- ❖ जरूरत के अनुसार उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन के साथ-साथ सब्जी फसलों जैसे बैंगन, टमाटर, भिंडी और मिर्च का समय-समय पर संचालन करें।
- ❖ किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जियों की फसलों जैसे . स्पंज लौकी, पानी तरबूज और कस्तूरी तरबूज की रोपाई का समय तय करें।
- ❖ बागवानी फसलें मुख्य रूप से किसान जो फलों के बगीचे लगाना चाहते हैं, गड्डे तैयार करते हैं और उन्हें उपचार के लिए खुला रखते हैं, साथ ही फलों के पेड़ों की किस्मों का चयन करते हैं और रोपण की व्यवस्था करते हैं।
- ❖ गर्मियों की सब्जियों में कद्दू, करेला, बोटल लौकी, भिंडी इत्यादि में इंटरकल्चरल ऑपरेशन और यूरिया के अनुप्रयोग की सलाह दी जाती है।

.....